



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश:- 1197

दिनांक: 30/12/2022

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों को सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 (47,600-1,51,100/- रु.) में [जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/- रु. के पे बैंड में 4800/- रु. के ग्रेड पे था] पदोन्नत करते हैं। यह आदेश दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी होंगे।

क्रम सं./ वरि.सं.	नाम व पिता / पति का नाम श्री / श्रीमती	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/ 2041	आभा सिंह चौहान धर्मपत्नी श्री सौरव सिंह भदौरिया	कार्मिक शाखा- III
2/ 2067	अनिमेश सिन्हा सुपुत्र श्री अभिमन्यु कुमार सिन्हा	पी.सी.-107 पीतमपुरा-II
3/ 2071	विकास सुपुत्र श्री ओमपाल	भूमि प्रबंधन- एल.ए.बी (आवासीय)
4/ 2073	शिवम् अगरवाल सुपुत्र श्री हुकम चंद अगरवाल	कार्मिक शाखा- I
5/ 2074	श्रीमती प्रिया अगरवाल धर्मपत्नी श्री पुनीत अगरवाल	एल.ए.बी (जनता)
6/ 2075	श्री अनिल लोचब सुपुत्र श्री राकेश लोचब	कार्मिक शाखा- I
7/ 2076	श्री शशांक सिंह सुपुत्र श्री कन्हैया लाल सरधना	कार्मिक शाखा- III
8/ 2087	श्रीमती कामाक्षी कुमारी धर्मपत्नी श्री दिनेश	उप निदेशक (योजना) ई & ओ क्षेत्र
9/ 2136	श्रीमती इंदु धर्मपत्नी श्री योगेश कुमार	एस.ए.जी.आर
10/ 2144	श्री राकेश कुमार मीना सुपुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीना	पी.सी.-103 हौज़ खास

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/- रु. के वेतनमान में 4800/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के आधार पर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश की प्रभावी होने की तिथि के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उन्हें आगे की तैनाती हेतु उप निदेशक (कार्मिक)-1 को रिपोर्ट करने का आदेश किया है।

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है। उनकी पदोन्नति उनके नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगे।

(प्रमोद कुमार)

उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

दिनांक:- 30/12/2022

सं.एफ.10(65)2022/सी.सी./ 1028

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. प्रधान आयुक्त, (कार्मिक) / (उद्यान), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
3. आयुक्त (कार्मिक) / (भूमि निपटान), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. निदेशक उद्यान (उत्तर पश्चिम) / भूमि निपटान, दि.वि.प्रा.।